

कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

अपील संख्या:-42/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री श्याम प्रकाश निवासी चाईया तहसील-रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

---अपीलार्थी

बनाम

अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।

---प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांक:-12.09.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ के संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ से वांछित सूचना निशुल्क दिखाई जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई है।

अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ से पत्र क्रमांक 849 दिनांक 04.09.2019 द्वारा जबाब प्राप्त हुआ व अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.09.2019 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उसके द्वारा अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ से 3 बिन्दुओं की सूचना मांगी गई थी जिनमें से बिन्दु संख्या 1 की सूचना उसे उपलब्ध करवा दी गई है एवं शेष रहे बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना दिखाई जावे। अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक 849 दिनांक 04.09.2019 का अवलोकन करने से अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा पत्रांक 729 दिनांक 31.07.2019 से अपीलार्थी को सूचना दिया जाना पाया गया जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.09.2019 के साथ सलग्न जिला कलक्टर(सतर्कता), हनुमानगढ़ के पत्रांक 1649 दिनांक 18.07.2019 का अवलोकन करने से अपीलार्थी को पूर्ण सूचना नहीं दिया जाना प्रतीत होता है। इसलिए अपीलार्थी की यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है। अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 03.07.2019 के बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना कार्यालय में उपलब्ध हो तो नियमानुसार अपीलार्थी को दी जावे यदि सूचना उपलब्ध नहीं हो तो भी नहीं की सूचना अपीलार्थी को नियमानुसार दी जावे। अपीलार्थी की यह अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनों पक्षों को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी  
एवं अपर जिला कलक्टर  
हनुमानगढ़